

12/01/23

पत्रावली पेश हुई। पार्सी वकील अपना मुक्ति मूल्पाद
को जरिये राजीनामा विज्ञो कर दिया गया मूलरिये
इस आवेदन को आगे चलाने का कोई भी अधिकार
नहीं है इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर
समाप्त की जाती है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा
जारी स्वयंसेवा आदेश दिनांक 16/08/22 को निरस्त
किया जा चुका है। पत्रावली फेराल सुमार होकर दारिखत
दफ्तर हो। मूल्पाद के संलग्न ही।

[Signature]

